Dr. Juneja's
डा.ऑर्थो®
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment
24x7 Helpline: 7876977777 | www.drorthooil.com | Available at all medical & general stores

8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

घुटने दर्द, कंधे दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द एवं कलाई दर्द आदि में सहायक आयुर्वेदिक औषधि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, 11.27 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा

रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा

फैसला

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलकर्मियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया है। इससे रेलवे के 11.27 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद बताया कि हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर रेलवे कर्मियों को उत्पादकता बोनस प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलकर्मियों को यह बोनस दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत पात्र रेलकर्मियों को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,950 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

ठाकुर ने बताया कि इससे पटरियों का रखरखाव करने वाले कर्मियों, रेल चालकों, गार्ड, स्टेशन मास्टर, निरीक्षक, तकनीशिन, तकनीकी सहायक, प्वायंट्समैन सहित समूह 'स' कर्मियों को लाभ होगा। मंत्री ने बताया कि इससे अनुमानित तौर पर 1,832.09 करोड़ रुपये का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने का फैसला कोविड के बाद चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के बावजूद लिया गया है। अभी हाल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकारी पेंशनर के लिए चार फीसदी महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी बढ़ोतरी की गई थी।

17 हजार नौ सौ पचास रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा

18 सौ करोड़ रुपये से अधिक का भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा

पूर्वोत्तर के लिए 6600 करोड़ मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 'प्रधानमंत्री विकास पहल' (पीएम-डिवाइन) नाम से नई योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान की। योजना पर चार वर्ष में 6,600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शत प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए होगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इसे लागू करेगा। ठाकुर ने बताया कि इसका उद्देश्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए धन मुहैया कराना है।

रेलकर्मियों ने मांगों को लेकर भूख हडताल की

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के अह्वान पर अपनी मांगों को लेकर रेल कर्मियों ने देशभर में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि रेलवे को निजीकरण एवं निगमीकरण से बचाना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, रेलवे के रिक्त पदों को भरना, कैडर रीस्ट्रचरिंग आदि को लेकर भूख हड़ताल की गई है। रेल कर्मी रेल मुख्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों पर भूख हडताल पर बैठे है।

सहकारी समितियों में होगी पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया

मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। इसका मकसद जवाबदेही बढ़ाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार है। ठाकुर ने बताया कि शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक पेश करने की योजना है। देश भर में 1,500 से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियां हैं। ये समितियां स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के आधार पर सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देती हैं।

गुजरात में कंटेनर टर्मिनल बनेगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को हरी झंडी दे दी।

परियोजना की लागत साढ़े चार हजार करोड़ के करीब रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रियायत अवधि के दौरान एप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा या चौड़ा करके 18 मीटर तक के जहाजों को संभालने की अनुमति होगी। दीनदयाल बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में एक है और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। परियोजना का विकास निजी विकासकर्ता द्वारा बीटीओ यानी बनाओ, चलाओ और सौंपो के आधार पर किया जाएगा।

तेल कंपनियों पर दबाव घटाने का प्रयास

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने बताया कि कंपनियों पर आर्थिक दबाव कम करने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया। यह अनुदान जून, 2020 से जून, 2022 तक के लिए दिया गया है।

सरकार के मुताबिक, बीते दो साल से कंपनियां रसोई गैस लागत से कम मूल्य पर बेच रही थीं और नुकसान की वजह से उनपर दबाव बढ़ रहा था। सरकारी नियंत्रण वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं।

शहीदों के परिजनों के लिए वेबसाइट लॉन्च होगी

तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 अक्तूबर को आर्म्ड फोर्सस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड (एएफबीसीडब्ल्यूएएफ) की वेबसाइट 'मा भारत के सपूत' लांच करेंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित एक समारोह में यह वेबसाइट लांच की जाएगी।

इस वेबसाइट के जरिये शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए धन एकत्र किया जाएगा। जो लोग भी स्वेच्छा से शहीदों के परिजनों की मदद करने के इच्छुक होंगे, उन्हें इस वेबसाइट के जरिये मदद मिलेगी।

अमिताभ बच्चन होंगे अंबेसडर: रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने इस कार्यक्रम के लिए गुडविल अम्बेसडर बनने पर सहमति प्रकट की है। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, परमवीर चक्र विजेता, रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर युद्ध अभियानों में दिव्यांग हुए दस सैन्यकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर कुछ शहीदों के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है।

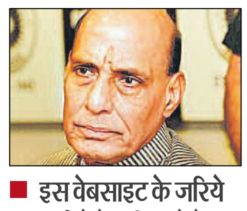

- इस वेबसाइट के जरिये शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए धन एकत्र किया जाएगा

14 अक्तूबर को लॉन्च होगी एएफबीसीडब्ल्यूएएफ की वेबसाइट

इकबालपुर झड़प में एसआईटी जांच

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को इकबालपुर में दो समूहों के बीच झड़प मामले में एसआईटी बनाने का निर्देश दिया।

दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति शांतिपूर्ण है, ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

देश 30S

इंदिरा रसोई में भोजन करें : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जन प्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार वहां भोजन करने की अपील की है। राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत आठ रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गहलोत ने कहा कि इससे आप सभी का जनता के साथ संपर्क एवं समन्वय बढ़ेगा। समाज में अपनेपन का भाव भी पैदा होगा। इंदिरा रसोई योजना में अब तक 7.42 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं।

कोरोना से 2,139 लोग संक्रमित

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,139 नए मामले सामने आए। अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,46,18,533 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या 27,374 से घटकर 26,292 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक 5,28,835 मरीज दम तोड़ चुके हैं।

कोटकपूरा गोलीबारी में बादल से पूछताछ

चंडीगढ़। पंजाब में 2015 के कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी मामले की जांच कर रहा एसआईटी चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आवास पर उनसे पूछताछ कर रहा है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एल के यादव इस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। 2015 में जब कोटकपूरा में गोलीबारी की घटना हुई थी, तब बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 14 सितंबर को एसआईटी ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से मामले में पूछताछ की थी।

SWEATSHIRT
Jackets & Sweaters
SALE
Hi-Fashion winter Collection 2022
Branded Sweaters, Jackets, sweat shirts & Lowers
upto 60% off
By Economy Sales: 9212758425
ARROW Raymond ColorPlus LOUIS PHILIPPE PARK AVENUE
- PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
- WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
- JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
- NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
- LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

धारा 66ए में केस नहीं चल सकता: कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि वर्ष 2015 में निरस्त की जा चुकी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ए के तहत किसी भी नागरिक के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निरस्त किए जाने से पहले इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए तीन साल तक की जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता था।

शीर्ष अदालत ने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी महत्व का उल्लेख करते हुए 24 मार्च, 2015 को संबंधित प्रावधान को निरस्त कर दिया था। कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के जरिए जनता के जानकारी के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते थे।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिन मामलों में लोग आईटी अधिनियम की धारा 66-ए के कथित उल्लंघन के मुकदमे का सामना कर रहे हैं, उनमें संदर्भ और प्रावधान निरस्त रहेंगे। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट भी शामिल हैं। पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल को धारा 66ए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न करने का निर्देश दें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दिशा-निर्देश धारा 66ए के तहत दंडनीय अपराधों के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा।

अदालत के निर्णय का उल्लंघन

पीठ ने कहा, ह्यहमारे विचार में ऐसे आपराधिक मामले श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार (मार्च 2015 निर्णय) के मामले में इस अदालत के निर्णय का प्रत्यक्ष उल्लंघन हैं और परिणामस्वरूप हम निम्न दिशा-निर्देश जारी करते हैं ह्न पीठ गैर-सरकारी संगठन ह्यपीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीजह्न (पीयूसीएल) की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस निरस्त प्रावधान के तहत मुकदमा चलाए जाने का आरोप लगाया गया है।

पन्नून के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस का अनुरोध लौटाया

नई दिल्ली, एजेंसी। इंटरपोल ने खालिस्तान समर्थक समूह 'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ रेड नोटिस की मांग करने वाले भारत के अनुरोध को लौटाते हुए कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इंटरपोल के साथ संपर्क करने के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में काम करने वाली सीबीआई ने पन्नून के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के एनआईए के अनुरोध को भेजा था, लेकिन इसे कुछ और सवालों के साथ वापस कर दिया गया। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में विदेशी नागरिकता वाले कट्टरपंथी सिखों द्वारा संचालित संगठन एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।

केंद्र ने 10 जुलाई, 2019 की अधिसूचना में एसएफजे को गैरकानूनी संघ घोषित किया था। उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। कहा गया था कि समूह का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब में एक स्वतंत्र और संप्रभु देश स्थापित करना है और यह खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है।

उकसावे का दोषी ठहराने को सबूत जरूरी : कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने को आत्महत्या के लिए उकसावे के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण और आरोपी के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के सबूत होने चाहिए।

कोर्ट ने चेन्नई के डॉक्टर और उसकी मां को चिकित्सक की पत्नी की आत्महत्या मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के कृत्य को स्थापित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य होने चाहिए। आरोपी को घटना के समय आसपास होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने पूछा मुख्यमंत्री का नाम

बामुतिया (त्रिपुरा), एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले के नरसिंहगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मोहनपुर अनुमंडल के दुर्गाबाड़ी चाय बागान का दौरा किया, उन्होंने वहां कर्मचारियों से पूछा क्या वो अपने मुख्यमंत्री को पहचान सकती हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू त्रिपुरा की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा दो दिनों की है। मुर्मू सुबह 11.15 बजे अगरतला हवाई अड्डा पहुंचीं। मुर्मू ने दुर्गाबाड़ी चाय बागान का दौरा किया और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने चाय बागान की महिला श्रमिकों से पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री माणिक साहा व विधायक कृष्णधन दास की पहचान कर सकती हैं? श्रमिकों ने हां में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने बागान श्रमिकों से कहा कि आपकी कोई मांग या समस्या है तो उनसे संपर्क करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को अगरतला के दुर्गाबाड़ी चाय बागान का दौरा किया और वहां के कर्मचारियों से बातचीत की। • एएनआई

पी डी आई एल
PDIL
प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा
(भारत सरकार का उपक्रम)
पी.डी.आई.एल. भवन, ए-14, सेक्टर-1, नोएडा
जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)

आफिस स्पेस को लीज़ पर देने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.), (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम), ए-14, सेक्टर-1, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर (यू.पी.) में प्रथम तल पर ऑफिस स्पेस को सरकारी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों/अनुसूचित बैंक/निजी संस्थानों/संयुक्त उद्यम को कार्यालय के इस्तेमाल पर देने की इच्छुक है। किराए हेतु उपलब्ध जगह का क्षेत्रफल 5403 Sq. ft. Approx. (carpet area) है। उपलब्ध जगह पर मोड्यूलर सिटिंग/सेंट्रलाईज्ड एसी/पावर बैकअप/पार्किंग सुविधा इत्यादि उपलब्ध है।

उपलब्ध सुविधाओं की डीटेल एवं एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) जमा कराने का फार्म पी.डी.आई.एल. की वेबसाइट www.pdilin.com के "टेंडर नोटिस" सेक्शन में उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थान, अपना EOI निर्धारित फार्म में अपर महाप्रबंधक एवं इंचार्ज (का. एवं प्रशा./ मानव सं. - निगमीय) को उपरोक्त पते पर दि. 15.11.2022 तक भेज सकते हैं।

सीबीसी 02105/12/0007/2223

के वि वि आयोग
CERC
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in
सत्यमेव जयते

याचिका सं.137/टीएल/2022 दिनांक: 10.10.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

आवेदक आरटीएम प्रणाली (इसके बाद 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से (i) बीकानेर-।। पीएस स्कीम पर आरई जेनेरेटर और 400/220 केवी आईसीटी के लिए 220 केवी बे के कार्यान्वयन, (ii) एसजेवीएन लि. की 1000 मेगावाट सौर परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-।। पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 1 नंबर के कार्यान्वयन और (iii) 1000 मेगावाट सौर परियोजनाओं (एसीएमई सोलर होल्डिंग्स प्रा. लि., प्रेरक ग्रीनटेक प्रा. लि.) के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-।। पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नंबर के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीबीटीएसएल), बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अधीन आवेदन किया गया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.11.2021, 26.4.2022 और 25.8.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापनों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को निश्चित करने के साथ आरटीएम मोड पर विषय पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया और इसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भी व्याख्यायित किया।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 20.9.2022 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा-1 में यथोल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन हेतु पीबीटीएसएल को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 137/टीएल/2022 में दिनांक 7.10.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित विनियमित टैरिफ तंत्र पर पारेषण योजना हेतु याचिकाकर्ता को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
5. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 31.10.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा सम्यक अनुक्रम में आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
Corporate Identity Number : L74140DL1991PLC046369
Registered Office : 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi, 110 019
Corporate Office : Plot No. 3A, Sector 126, Noida 201 304, U.P., India
Website: www.hcltech.com; Telephone: +91 11 26436336

Extract of Consolidated Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 September 2022 (Unaudited)	Six months ended 30 September 2022 (Unaudited)	Three months ended 30 September 2021 (Unaudited)
Total income from operations	24,686	48,150	20,655
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	4,584	8,921	4,101
Net profit for the period before tax	4,584	8,921	4,101
Net profit for the period after tax	3,487	6,768	3,263
Net profit for the period after tax and non-controlling interest	3,489	6,772	3,259
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and non-controlling interest and other comprehensive income after tax)	3,408	6,732	3,050
Equity share capital (par value ₹ 2 each)			543
Other equity at 31 March 2022			61,371
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	12.89	25.01	12.01
Diluted (in ₹)	12.88	25.00	12.01

Extract of Standalone Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 September 2022 (Unaudited)	Six months ended 30 September 2022 (Unaudited)	Three months ended 30 September 2021 (Unaudited)
Total income from operations	11,424	22,241	9,786
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	3,544	7,032	3,152
Net profit for the period before tax	3,544	7,032	3,152
Net profit for the period after tax	2,741	5,419	2,562
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	2,641	5,135	2,695
Equity share capital (par value ₹ 2 each)			543
Other equity at 31 March 2022			42,048
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	10.12	20.02	9.44
Diluted (in ₹)	10.12	20.00	9.44

Notes :
1. The consolidated and the standalone financial results for the three and six months ended 30 September 2022 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 12 October 2022. The statutory auditors have issued unmodified review report on these results.
2. The Board of Directors have declared an interim dividend of ₹ 10/- per share at its meeting held on 12 October 2022.
3. Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
4. Increase in tax expense for the three and six months ended 30 September 2022 is primarily due to increase in effective tax rate primarily due to increase in ratio of taxable to tax-exempt profits in SEZ units in India during the period and settlement of uncertain tax positions in favor of the company in comparative periods.
5. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com, and on the Company's website, www.hcltech.com.

By the order of the Board of Directors
for HCL Technologies Limited

Roshni Nadar Malhotra
Chairperson
DIN - 02346621

C. Vijayakumar
Chief Executive Officer and
Managing Director
DIN - 09244485

Prateek Aggarwal
Chief Financial Officer

Noida (UP), India
12 October 2022

HCL